(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7052-PBR/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2015 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 107/बी–103/2009–10.

1–श्रीमती शादाब फातिमा पत्नी श्री मो0रिजवान खान
निवासी 1 सूरज फार्म एयर पोर्ट रोड
भोपाल
2–तिलक गृह निर्माण संस्था भोपाल
द्वारा मो0शरीफ खान पुत्र मो0शकूर खान
निवासी सूरज फार्म एयर पोर्ट रोड भोपाल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
39/6 बेनजीर भवन परिबाजार
भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री बंशीलाल इसराणी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2015 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे आगे केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा 100/– रुपये के मुद्रांक पत्र पर निष्पादित संशोधन पत्र पंजीयन हेतु पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उपपंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेज को संशोधन की श्रेणी में नहीं मानते हुये अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिबद्ध कर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रेषित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15–7–15 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 3,41,438/– एवं अधिनियम की धारा 47(ख) के अन्तर्गत 3,415/– रुपये शास्ति अधिरोपित कर 3,44,853/– रुपये जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा संशोधन पत्र को विक्रय पत्र मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि आवेदकगण द्वारा जिस दस्तावेज में संशोधन चाहा गया है उस पर दिनांक 13–3–07 को स्टाम्प ड्यूटी अदा की जा चुकी है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि केवल तीन तरफ की सीमाएं जो कि गलत लगाई गई थी, में परिवर्तन/संशोधन के माध्यम से चाहा गया है और उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसके बावजूद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विक्रय पत्र मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य अवधारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक द्वारा पूर्व में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 31–3–2007 अनुसार संपत्ति की चतुर्थ सीमाओं में परिवर्तन चाहा गया है । अतः विक्रय पत्र दिनांक 31–3–2007 में उल्लेखित चतुर्थ सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, जो

सारभूत परिवर्तन की श्रेणी में आता है । अतः उक्त परिवर्तन संशोधन की श्रेणी में नहीं आते हुये एक सारभूत परिवर्तन है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा शेष मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति जमा कराने के आदेश देने में उचित कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं नियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.